न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2024 अपील

1. प्रहलाद मीणा पुत्र धन्ना लाल मीणा निवासी सुरजनगर 1, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर
2. श्रीमती मंजु रावत पत्नी प्रहलाद मीणा निवासी सुरजनगर 1, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर
3. कार्तिक मीना पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी सुरजनगर 1, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर
4. केशव मीना पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी सुरजनगर 1, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार हुरडा
2. गोपाल पुत्र मगना भील निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 789 तहसीलदार हुरडा आदेश दिनांक 18.02.2021

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से
3. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात जो कि वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्क तस्वारिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गागेड़ा, तहसील हुरड़ा, जिला–भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 28 रकबा 1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी ।।। तादादी 13,00,000/–

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अक्षरे तेरह लाख रुपये का भुगतान कर बतौर क्रय किया और अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दिनांक 06.08.2020 को अपीलान्ट के हक में विक्रयपत्र का निष्पादन करा उपपंजीयक हुरडा के समक्ष दिनांक 06.08.2020 को विक्रयपत्र का पंजीयन कराया जो उपपंजीयक हुरडा के यहां पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 162 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 202003037101138 पर पंजीबद्ध हैं। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदशुदा कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम पर कराने बाबत् निर्धारित अवधि में निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित करते हुए नामान्तरण आदेश दिनांक 18/02/2021 के जरिये नामान्तरण संख्या 789 से अपीलान्ट का आवेदन निरस्त कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया हैं जो आदेश निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहां नामान्तरण संख्या 789 दिनांक18.02.2021 की जानकारी चाही तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट संख्या 01 को मौखिक तौर से बताया कि अपीलान्ट संख्या 02 मंजु रावत पत्नी श्री प्रहलाद मीना अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में नहीं आती हैं इस कारण उसके हक में नामान्तरण की प्रक्रिया प्रावधानों के विपरीत होने से नहीं की जा सकी व नामान्तरण निरस्त किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय/आदेश विधि विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट संख्या 02 मंजु रावत पत्नी श्री प्रहलाद मीना पुत्री श्री भोगीराम रावत, निवासी–4–56, गांधीनगर, जयपुर के नाम से सक्षम अधिकारी तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 31.05.2005 को जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार अपीलाण्ट संख्या 2 मंजु रावत अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हैं तथा उप पंजीयक हुरडा द्वारा अपीलाण्ट्स के हक मे विक्रय विलेख के पंजीयन के समय भी अपीलाण्ट्स से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर विक्रय विलेख का निर्धारित वर्ग मे आने के कारण पंजीयन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट संख्या 2 मंजु रावत अनुसूचित जनजाति की सदस्य होना प्रमाणित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया हैं जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट संख्या 2 अनुसूचित जनजाति की मीणा

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

समुदाय की सदस्य हैं और उसकी पदवी रावत है जो मीणा समुदाय की रावत पदवी के आधार पर अपीलाण्ट संख्या 2 मीणा समुदाय की होने से सक्षम अधिकार. द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र को नहीं मानकर भारी भूल की है औ अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का समुचित अवलोकन नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने बाबत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 789 दिनांक 18/02/2021 को पारित आदेश को अपास्त किया जाकर ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का तस्वारिया, भू.अ.नि.क्षेत्र गागेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की खसरा संख्या 28 की कृषि भूमि का अपीलाण्ट्स के हक मे जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण अपीलान्ट के नाम खोले जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात जो कि वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्क

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तस्वारिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गागेड़ा, तहसील हुरड़ा, जिला–भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 28 रकबा 1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी ।।। तादादी 13,00,000/– अक्षरे तेरह लाख रुपये का भुगतान कर बतौर क्रय किया और अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दिनांक 06.08.2020 को अपीलान्ट के हक में विक्रयपत्र का निष्पादन करा उपपंजीयक हुरडा के समक्ष दिनांक 06.08.2020 को विक्रयपत्र का पंजीयन कराया जो उपपंजीयक हुरडा के यहां पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 162 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 202003037101138 पर पंजीबद्ध हैं। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदशुदा कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम पर कराने बाबत् निर्धारित अवधि में निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित करते हुए नामान्तरण आदेश दिनांक 18/02/2021 के जरिये नामान्तरण संख्या 789 से अपीलान्ट का आवेदन निरस्त कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया हैं जो आदेश निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट संख्या 01 को बताया कि अपीलान्ट संख्या 02 मंजु रावत पत्नी श्री प्रहलाद मीना अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में नहीं आती हैं, इस कारण उसके हक में नामान्तरण की प्रक्रिया प्रावधानों के विपरीत होने से नहीं की जा सकी व नामान्तरण निरस्त किया गया हैं। अपीलान्ट संख्या 02 मंजु रावत पत्नी श्री प्रहलाद मीना पुत्री श्री भोगीराम रावत, निवासी–4–56, गांधीनगर, जयपुर के नाम से सक्षम अधिकारी तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 31.05.2005 को जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार अपीलाण्ट संख्या 2 मंजु रावत अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हैं तथा उप पंजीयक हुरडा द्वारा अपीलाण्ट्स के हक मे विक्रय विलेख के पंजीयन के समय भी अपीलाण्ट्स से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर विक्रय विलेख का निर्धारित वर्ग मे आने के कारण पंजीयन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट संख्या 2 मंजु रावत अनुसूचित जनजाति की सदस्य होना प्रमाणित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया हैं जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट संख्या 2 अनुसूचित जनजाति की मीणा समुदाय की सदस्य हैं और उसकी

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पदवी रावत है जो मीणा समुदाय की रावत पदवी के आधार पर अपीलाण्ट संख्या 2 मीणा समुदाय की होने से सक्षम अधिकार. द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का समुचित अवलोकन नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निर्णय निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 789 दिनांक 18/02/2021 को पारित आदेश को अपास्त किया जाकर ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का तस्वारिया, भू.अ.नि.क्षेत्र गागेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की खसरा संख्या 28 की कृषि भूमि का अपीलाण्ट्स के हक मे जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण अपीलान्ट के नाम खोले जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 02 ने अपील में वर्णित आराजियात का विक्रय अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 06.08.2020 को कर दिया हैं। अपील 2024 में पेश की गयी है जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपील खारिज फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट ने तत्समय जो अस्पष्ट दस्तावेज पेश किये, उसके आधार पर नामान्तरकरण आदेश में निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा पुनः दस्तावेज पेश करने पर नामान्तरकरण दुरूस्त किया जा सकता हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर (जयपुर) जिला जयपुर द्वारा क्रमांक/RJ/2017/ राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/ 24634974132 दिनांक 21.12.2024 को जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गयी। जिस अनुसार श्रीमती मंजू रावत पुत्र श्री भोगीराम रावत को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हैं। उक्त जाति प्रमाण पत्र की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में भी पेश की गयी, किन्तु पत्रावली अवलोकन एवं पंजीकृत विक्रय विलेख से जाहिर होता हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर निर्णय पारित किया, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा के नामान्तरकरण सं. 789 दिनांक 18.02.2021 को पारित आदेश विधि विरूद्व होने से व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के के ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा के नामान्तरकरण सं. 789 दिनांक 18.02.2021 विधि विरूद्व होने से एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट की विधिवत सुनवायी की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा